कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(2)(ए) के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) पद पर संबंधित विषय हेतु आदेश क्रमांक–शिविरा–माध्य/संस्था/सी–ओए/6004/चयन/2017–18 दिनांक–12.07.2017 के द्वारा जारी डीपीसी वर्ष 2017–18 में चयनित निम्नांकित अभ्यर्थि का चयन प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) **अंग्रेजी** के पद पर होने के फलस्वरूप पे–बेण्ड 2 (9300–34800) ग्रेड़ वेतन 4800 में पदोन्नति प्रदान कर इनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है :–

क्र सं	वरिष्ठता क्रमांक	वरिष्ठता अवधि	नाम	शैक्षुल	जन्म तिथि	कार्यरत स्थान	वरिष्ठता सूची में अंकित जिला	पदस्थापन स्थान	जिला
1	1447	1998-1999	KISHOR SINGH	T	07-12-1969	राउमावि घण्टेल, चूरू	CHURU	राउमावि बालरासर आथुणा, चूरू	Churu

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क–2/95 दिनांक 20.06.2001 (33/01) के प्रावधानान्तर्गत ऐसे राज्यकर्मी जिनके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात सन्तानोत्पति से दो से अधिक सन्तान हो तो वे नियमानुसार पदोन्नति पर कार्यग्रहण के पात्र नहीं होंगे, संबंधित नियन्त्रण अधिकारी /प्रधानाचार्य इसकी सुनिश्चितता करेंगे। संस्था प्रधान/नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व पदोन्नत कार्मिक के नाम, वरिष्ठता क्रमांक/वर्ष, वर्तमान धारित पद, जन्म तिथि एवं धारित अर्हता का मिलान करना आवश्यक रहेगा। अन्यथा स्थिति में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नही कराते हुए निदेशालय को रजिस्टर्ड डाक से एवं विभागीय ई–मेल commsecedu@yahoo.com से तुरंत सूचित करेंगे।

पदोन्नत कार्मिक यदि अपनी पदोन्नति का परित्याग करना चाहता है, तो लिखित में प्रार्थना पत्र निर्धारित कार्यग्रहण तिथि से पूर्व संस्था प्रधान को प्रस्तुत करेगा और संस्था प्रधान का उत्तर दायित्व होगा कि वो पदोन्नत कार्मिक को (परित्याग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में भी) को आवश्यक रूप में नवीन पदोन्नत स्थान हेतु कार्यमुक्त करेगें। जो अभ्यर्थी पूर्व में चयन वर्ष 2016–17 हेतु निर्मित पुनर्वलोकन/पुनरीक्षण सूचि के संदर्भ में रिव्यू एवं रिविजन के आधार पर प्रदत्त पदौन्नति के फलस्वरूप पूर्व से प्राध्यापक स्कूल शिक्षा, **अंग्रेजी** के पद पर कार्यरत हैं, उन्हे इस आदेश की पालना में पदोन्नति पर पदस्थापन हेतु कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा एवं ऐसी स्थिति से तत्काल इस कार्यालय को सूचित करेंगे। पदोन्नत कार्मिक को दिनांक 02-11-2017 तक पदोन्नति पदस्थापन स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा। संस्था प्रधान संबंधित कार्मिक की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण का इन्द्राज शाला दर्पण पर अपडेट करावें।

इनको कार्यमुक्त करने से पूर्व संबंधित संस्था प्रधान यह पुष्टि अवश्य कर लेवें कि जिस वरिष्ठता अवधि के आधार पर कार्मिक को पदौन्नत किया जा रहा है, उस अवधि के पश्चात उस कार्मिक की अर्न्तमण्डल स्थानान्तरण के फलस्वरूप वरिष्ठता पूर्व निर्धारित वरिष्ठता प्रभावित नही हुई हो। यदि अर्न्तमण्डल स्थानान्तरण के फलस्वरूप पूर्व निर्धारित वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति आने पर ऐसे कार्मिक को इस कार्यालय को वस्तुस्थिति बतलाते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त होने पर ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

(नथमल डिडेल)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/मा/संस्था/सी–1/**अंग्रेजी**/डीपीसी वर्ष 2017–18/पदस्थापन/2017 दिनांक– 25/10/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत् :–

1. शासन सचिव–शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)/कार्मिक(क–5)विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर
5. समस्त शिक्षा उप निदेशक (प्रारंभिक/माध्यमिक)
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक/प्रारंभिक)/प्रधानाचार्य डाईट/संस्था प्रधान को प्रेषित कर लेख है कि पदोन्नत कार्मिक पदोन्नति आदेश विभागीय वेबसाईट से डाउनलोड कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण कराने के लिये अधिकृत होगें।
7. अनुभाग अधिकारी, कम्प्युटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु
8. संबधित अधिकारी/कार्यालय/संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित कार्मिक के कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की सूचना शाला दर्पण पर तत्काल दर्ज करावें। अन्यथा विपरीत परिस्थिति के आप स्वंय उत्तरदायी होंगे
9. सहायक निदेशक वरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

f/- 25/10/17